विदित हो कि दोनों पक्ष के पिता जी ने बाबु चुल्हन सिंह वल्द बाबु प्रयाग सिंह से खरीदकर प्राप्त कियें थे। जिसका केवाला नं0 665 वास्ते वर्ष 1948 ई0 है। बलभद्र सहाय अपने पिछे दो पुत्र यानी दोनों पक्षकारो को छोड़ कर स्वर्गवास कर गयें। बलभद्र सहाय द्वारा छोड़ी गयी चल एव अचल सम्पति का पूर्णरूपेण उत्तराधिकारी दोनों पक्षकार हुए। आपस में सहोदर भाई हैं।

विदित हो कि यह समझौता यह बटवारानामा घर–परिवार के मुख्य सदस्य एवं मुहल्ला के चंद माननीय व्यक्तियों के समक्ष हम दोनों भाईयों के राजामंदी से बिना भय या डर एवं पुरे होशो–हवाश में बिना किसी दबाव के राजी–खुशी से कर रहे हैं, भविष्य में किसी भी तरह का अपने दोनों पक्षों के उत्तराधिकारियों में कोई विवाद न हो आपसी सम्बन्ध बना रहे। उत्तराधिकारीयों को मालिकाना हक होगा एवं इस समझौते के अनुसार कार्य करना होगा।

यह कि प्रथम पक्ष के हिस्से में मिला घर–मकान एवं जमीन से द्वितीय पक्ष को या इनकें उत्तराधिकारीयों को कोई वास्ता–सरोकार नहीं रहेगा। इसी तरह द्वितीय पक्ष के हिस्से में मिला घर–मकान जमीन से प्रथम पक्ष को या इनकें उत्तराधिकारियों को कोई वास्ता–सरोकार नहीं रहेगा। यानि अपने–अपने तख्ता में मिली सम्पति से सिर्फ वास्ता–सरोकार रखेगें।

यह कि इस दस्तावेज के माध्यम से अपने–अपने तख्ते में मिली सम्पति का अपने–अपने नाम से नामान्तरण कराकर एवं सलाना लगान देकर मालगुजारी की रसीद प्राप्त किया करें।

यह कि दोनों पक्ष राजी–खुशी से स्वतंत्र गवाहो के समक्ष यह दस्तावेज को निष्पादित कर दिये जो कि समय पर काम आवे एवं प्रमाण रहे।